राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 118/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
पेमसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी रायधनु तहसील व जिला नागौर		1 ओमप्रकाश पुत्र राजूदास जाति साद निवासी रायधनु निवासी रायधनु तहसील व जिला नागौर 2 सहदेव पुत्र स्व. शैतानराम 3 सुखाराम पुत्र स्व. शैतानराम 4 साबुराम पुत्र स्व. शैतानराम 5 शंकरलाल पुत्र स्व. शैतानराम जातियान जाट निवासीगण चारा मांजरा तहसील व जिला नागौर। 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री कालूराम सांखला (प्रार्थी)
श्री भगवान सिंह राठौड़ (अप्रार्थी संख्या 1)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (संशोधित) अधिनियम–2010

आदेश

दिनांक :– 26.05.2016

प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 762 रकबा 46.04 बीघा, खसरा नम्बर 783 रकबा 10.13 बीघा वाके सरहद मौजा रायधनु तहसील नागौर में स्थित रहते चले आया है, नकल खतौनी व नक्शा साथ पेश है।

2 यह है कि, प्रार्थी के उपरोक्त खेतो में जाने–आने के लिए एक मात्र रास्ता लूणदा से बसवाणी जाने वाले आम कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की खातेदारी के खसरा नम्बर 760 की दक्षिणी पूर्वी माठ से होकर प्रार्थी की खातेदारी के उक्त खेतो में आने जाने का रास्ता था लेकिन काफी वर्षो पहले खसरा नम्बर 760 के पूर्व खातेदार प्रभूराम व खसरा नम्बर 759 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश साद द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थी व उसके आगे के खेतो में काश्तकारो को उनके खेतो मे आने जाने के लिए आपसी सहमति से उक्त कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 759 व 760 की माठ के सहारे सहारे प्रार्थी व अन्य काश्तकारो के खेतो में आने जाने का रास्ता दे रखा था, जिस रास्ते के संलग्न नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है जो नक्शा आवेदन का अभिन्न अंग है। उसके बाद प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 762 की माठ के सहारे सहारे आगे के खातेदारो के लिए रास्ता दिया हुआ था व है।

3 यह है कि, हाल ही में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने मिलकर गांव की राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण प्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करने के लिए प्रार्थी के खेतो में आने जाने का उक्त एक मात्र रास्ता को लाठी के बल पर बंद कर दिया, समझाने के बावजूद नही माने व टंटा फिसाद करने पर आमादा होने से प्रार्थी व अन्य खातेदारो ने श्रीमान् जिला कलक्टर को रास्ता खुलवाने बाबत लिखित में आवेदन दिनांक 15.06.2015 को पेश किया जिस पर श्रीमान् तहसीलदार नागौर को जांच करने के आदेश दिये और तहसीलदार ने भू.प्र.नि. कुमारी से मौके की जांच करवाई जिन्होने दिनांक 04.07.2015 को मौका निरीक्षण कर मौके पर रास्ता के अलामात सहित नक्शा

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

बनाते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की जिसकी प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ पेश है।

4 यह है कि, उपरोक्त शिकायत पर हुए मौका निरीक्षण व भू.अ.नि. की रिपोर्ट व नक्शा से भी प्रार्थी द्वारा बताये गये उक्त रास्ते मार्क ए से बी मौके पर होना स्पष्ट प्रमाणित है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त रास्ता से प्रार्थी व अन्य खातेदारो को आने जाने में बाधा व रुकावट करने के कारण बरसात होने के बावजूद प्रार्थी व दीगर खातेदार अपने खेतो में काश्त करने से महरूम हो रखे है व वर्तमान में इस रास्ता के बंद होने से आगे की करीब 350 बीघा जमीन रास्ते के अभाव में बिना काश्त की हुई पडी है प्रार्थी गरीब किसान व्यक्ति है कृषि कार्य पर ही निर्भर है इसलिए उक्त रास्ता तुरन्त खुलवा कर राजस्व रेकर्ड में 30 फुट चौड़ा रास्ता घोषित कर अमल दरामद करवाने हेतु यह आवेदन पेश कर रहा है।

5 यह है कि, प्रार्थी के खेतो में आने जाने के इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता वर्तमान में नही है। अप्रार्थीगण अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए है व पूर्व में जो रास्ता उक्त कटाणी मार्ग से पूर्वी तरफ फंट कर खसरा नम्बर 759 व 760 के मध्य की सीव के सहारे सहारे था उसे भी बंद कर दिया व वर्तमान में जो रास्ता काफी वर्षो से चल रहा था उसे भी बंद कर दिया है इसलिए प्रार्थी विकल्प में पूर्व मे जो रास्ता था उसकी भी मांग करते हुए यह आवेदन पेश कर रहा है इसलिए न्याय हित में दोनो रास्तो मे से एक रास्ता प्रार्थी के उक्त खेतो में आने जाने के लिए घोषित किया जावे पूर्व में जो रास्ता था उसे संलग्न नक्शे में मार्क सी से डी के रूप में दर्शाया गया है।

6 यह है कि, प्रार्थी के खेती के समस्त कार्यो हेतु गाडी, छकडा, ट्रैक्टर, मवेशी लाने ले जाने के लिए निर्बाध रूप से पहले मार्क सी से डी रास्ता था उसके बाद मार्क ए से बी रास्ता पिछले काफी वर्षो से चल रहा था इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है मौके पर रास्ता के अलामात मौजूद है तथा रास्ता की अति आवश्यकता है उक्त दोनो रास्तो मे से जो भी रास्ता लघुतम व निकटतम हो बाद जांच व माप राजस्व रेकर्ड में 30 फुट चौडे रास्ते के रूप में घोषित कर रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है व जिला कलक्टर नागौर के यहा से भी प्रार्थी को उक्त प्रावधान के तहत माननीय न्यायालय में रास्ता घोषित करवाने हेतु मौखिक निर्देश प्राप्त हुए है जिससे भी उक्त प्रावधान के तहत माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र अब पेश करना आवश्यक हुआ है।

7 यह है कि, प्रार्थना पत्र की सुनवाई व माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भूमि सरहद मौजा रायधनु तहसील नागौर में स्थित है।

8 यह है कि, भूमिधारी तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी बनाया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट होने एवं बाद तामील प्राप्त होने पर भी कोई उपस्थित नही होने से दिनांक 05.10.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निम्न जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खेत खसरा नम्बर 762 रकबा 46.04 बीघा, खसरा नम्बर 783 रकबा 10.13 बीघा वाके सरहद मौजा रायधनु तहसील नागौर की खातेदारी प्रार्थी के नाम होने बाबत उतरदाता को व्यक्तिगत जानकारी नही है, प्रार्थी साबित करे। उक्त खेतो पर प्रार्थी का कब्जा होना सही है।

2 यह है कि, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 गलत वर्णित होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के उपरोक्त खेतो में जाने–आने के लिए रास्ता लूणदा से बसवाणी जाने वाले आम कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की खातेदारी के खसरा नम्बर 760 की दक्षिणी पूर्वी माठ से होकर प्रार्थी की खातेदारी के उक्त खेतो में आने जाने का रास्ता था व है इसके अलावा भी कई नजदीकतम व सुगम रास्ते उपलब्ध रहते चले आये है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह कथन करना कि आवेदन में वर्णित तथाकथित रास्ता जो मौके पर कभी रहा ही नही वही एकमात्र रास्ता हो। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के खेत मे से रास्ता होना कथन कर रहा है जो सरासर गलत

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

व मौके की स्थिति के विपरीत है। न तो अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में ऐसा मौके की स्थिति के विपरीत हैं। न तो अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में ऐसा कोई रास्ता कभी रहा न आज दिन है न हा सकता है जब कटाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत में आने जाने के बिल्कुल नजदीक 4–5 रास्ते उपलब्ध रहते चले आये है तो प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के खेत मे से इतनी लम्बी दूरी में रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है न ही इसका कोई औचित्य है न ही उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान ही है कि नजदीक व सुगम रास्ते पहले से उपलब्ध होते हुए भी अन्य खातेदार के खेत मे से लम्बी दूरी का रास्ता दिया जावे, इस प्रकार प्रार्थी ने विधिक प्रावधानो के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने केवल मात्र उतरदाता को तंग परेशान करने के लिए आवेदन पेश किया है। यहा यह लिखना आवश्यक होगा कि प्रार्थी के कटाणी रास्ता से होकर कदीमी से रास्ता रहता चला आया है इसके अलावा उसके भाईयो के खेत की सींव से होकर व मुड़िडया सड़क से नजदीकतम रास्ता है, यानि प्रार्थी के चार–चार वैकल्पिक रास्ते है जो राजस्व नक्शा से साबित ह इसलिए प्रार्थी के किसी प्रकार की रास्ते की आवश्यकता ही नही है। प्रार्थी के बताये अनुसार उतरदाता के खेत में कभी कोई रास्ता नही रहा है। यह गलत है कि काफी वर्षो पहले खसरा नम्बर 760 के पूर्व खातेदार प्रभूराम व खसरा नम्बर 759 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश साद द्वारा आपसी सहमति से प्रार्थी व उसके आगे के खेतो के काश्तकारो को उनके खेतो मे आने जाने के लिए आपसी सहमति से उक्त कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 759 व 760 की माठ के सहारे सहारे प्रार्थी व अन्य काश्तकारो के खेतो में आने जाने का रास्ता दे रखा था। बल्कि उतरदाता ओमप्रकाश के खेत में से कभी भी प्रार्थी के खेत मे आने जाने का रास्ता नही रहा न हो सकता है न संभव है क्योकि कटाणी रास्ते से सीधा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खेत की सींव के सहारे सहारे होकर रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के कुटुम्बियान मालमसिंह पुत्र किशनसिंह व चुतरसिंह पुत्र दीपसिंह वगैरा के खेत खसरा नम्बर 787 मे से होकर भी सबसे नजदीक रास्ता प्रार्थी के खेतो में आवागमन के लिए उपलब्ध है इसके अलावा पश्चिमी तरफ रायधनु–लूणदा बसवाणी कच्चा कटाणी रास्ता से होकर भी प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता उपलब्ध है, इसके अलावा पूर्वी तरफ रायधनु से कुम्हारी मुड़िडया सड़क से भी रास्ता उपलब्ध है कहने का तात्पर्य यह है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु चारो तरफ नजदीकतम रास्ते उपलब्ध होते हुए भी बिना किसी आवश्यकता के केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज तंग परेशान करने के लिए उसके खेत मे से रास्ते की मांग की है जो राजस्व नक्शा देखने से स्पष्ट है कि उतरदाता के खेत मे से प्रार्थी के आवागमन का कभी रास्ता नही हो सकता है जबकि कटाणी रास्तो से बिल्कुल नजदीक रास्ते उसके लिए उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में किसी भी सूरत मे उतरदाता के खेत मे से रास्ता नही दिया जा सकता है न ही धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की ऐसा कोई मंशा ही है। उक्त कानून आवश्यकता के लिए बना है सुविधा के लिए नही बना है, जबकि इस प्रकरण में तो प्रार्थी के खेत मे आवागमन हेतु 4–4 नजदीकी रास्ते उपलब्ध है, अन्य किसी रास्ते की कोई आवश्यकता/समस्या ही नही है फिर भी वास्तविक स्थिति के विपरीत कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने बदनियती से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा भी अपनी मर्जी अनुसार मौके की स्थिति के विपरीत बनाकर पेश किया है जो माने जाने योग्य नही है, अस्वीकार है। ऐसे अपनी सुविधा अनुसार मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा बनाकर पेश कर देने से प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक है कि उपरोक्त अनुसार पश्चिमी तरफ रायधनु–लूणदा से बसवाणी कच्चा कटाणी मार्ग स्थित है व अगुणी तरफ रायधनु से कुम्हारी मुड़िडया सड़क है, यानि प्रार्थी के खेत में आने जाने के दो सरकारी रास्ते उपलब्ध है इनके अलावा खसरा नम्बर 787 प्रार्थी के भाईबंधु मालमसिंह पुत्र किशनसिंह, चुतरसिंह पुत्र दीपसिंह वगैरा का स्थित है जिसमें से होकर रास्ता चाहे तो लिया जा सकता है जो भी नजदीकतम है।

तहसीलदार नागौर से मौका रिपोर्ट ली गई जो पत्रांक भू.अ./2016/920 दिनांक 24.02.2016 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), नागौर

A-14

पेमसिंह बनाम ओमप्रकाश
राजस्व प्रार्थना 118/2015

प्रस्तुत हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नागौर ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी का वर्तमान में रास्ता बंद है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। खसरा नम्बर 759 मे से अ से बी की लम्बाई 128 गटटा एवं चौडाई 30 फुट के अनुसार 1.11 बीघा भूमि होती है तथा नक्शा में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 760 मे से सी से डी की लम्बाई 62 गटटा एवं चौडाई 30 फुट के अनुसार 14 बिस्वा भूमि बनती है एवं सी से डी की दूरी ए से बी की दूरी से नजदीक है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 762 रकबा 46.04 बीघा एवं खसरा नम्बर 783 रकबा 10.13 बीघा मौजा रायधनु में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 760 ग्राम रायधनु जो प्रार्थी के खातेदारी के खेत की कम दूरी है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेताय में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 760 ग्राम रायधनु अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की खातेदारो के खेताय जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेताय से नजदीक दूरी पर होने से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 762 रकबा 46.04 बीघा एवं खसरा नम्बर 783 रकबा 10.13 बीघा मौजा रायधनु में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 760 ग्राम रायधनु मे से प्रस्तावित नक्शा सी से डी लम्बा 62 गटटा एवं चौडाई 30 फुट के अनुसार 14 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।

खसरा नम्बर 760 की 14 बिस्वा भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 23250/– के अनुसार 14 बिस्वा के रूपये 16275 तथा दुगुनी दर कुल रूपये 32550/– बनते है जो अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को देय होगे। प्रार्थी उक्त रास्ते की रूपये 32550/– तहसील कार्यालय नागौर में जमा कराने पर तहसीलदार नागौर को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रायधनु के खसरा नम्बर 760 रकबा 38.19 बीघा मे से 14 बिस्वा कम कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

आदेश दिनांक 26.05.2016 को मेरे द्वारा मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर